यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुगड्डा, पौडी** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गई किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुगड्डा, पौडी के माह 04/2012 से 01/2018 तक के लेखा–अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री एस0के0 गुप्ता, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं मो0 सलीम खान, वरि0 लेखापरीक्षक द्वारा दिनॉक 05.02.2018 से 08.02.2018 तक श्री आई0के0 जुयाल, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

भाग–I

1. **परिचयात्मकः–** इस इकाई को 04/2012 में आहरण एवं संवितरण का दायित्व सौंपा गया, जिसके कारण इकाई की यह प्रथम लेखापरीक्षा है।

2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः**

इकाई द्वारा स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत चिकित्सालय, उप–केन्द्रों के माध्यम से चिकित्सा, परिवार कल्याण, टीकाकरण मातृ शिशु देखभाल, अनुश्रवण एवं निरीक्षण किया जाता है। इकाई का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र सम्पूर्ण विकास खण्ड, दुगड्डा है, जिसमें आने वाले समस्त रोगियों का ईलाज किया जाता है।

(ii) (अ) विगत छः वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:

(रु0 लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवषेष		स्थापना		गैर–स्थापना		स्थापना		गैर–स्थापना	
	स्थापना	गैर स्थापना	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13	–	–	59.08	56.99	313.02	289.19	–	2.09	–	23.83
2013–14	–	–	65.12	65.12	367.90	367.90	–	–	–	–
2014–15	–	–	76.93	76.93	470.07	467.22	–	–	–	2.85
2015–16	–	–	85.43	85.43	443.16	443.16	–	–	–	–
2016–17	–	–	80.01	80.01	426.46	426.46	–	–	–	–
2017–18 (01/2018)	–	–	0	0	492.67	458.46	–	–	–	34.21

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत् है:

(रु0 लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत (-)
2012–13	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	0.11	13.80	11.22	–	2.69
2013–14		2.69	10.62	12.45	–	0.86
2014–15		0.86	14.05	12.11	–	2.80
2015–16		2.80	11.73	13.40	–	1.13
2016–17		1.13	13.18	12.28	–	2.03
2017–18 (01/2018)		2.03	7.59	6.68	–	2.94

(iii) इकाई को अधिष्ठान हेतु बजट आबंटन महानिदेशालय स्तर एवं एन0एच0एम0 का आबंटन मुख्य चिकित्सा अधिकारी, पौडी के माध्यम से प्राप्त होता है। गैर–स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ''सी'' श्रेणी की है। विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः–

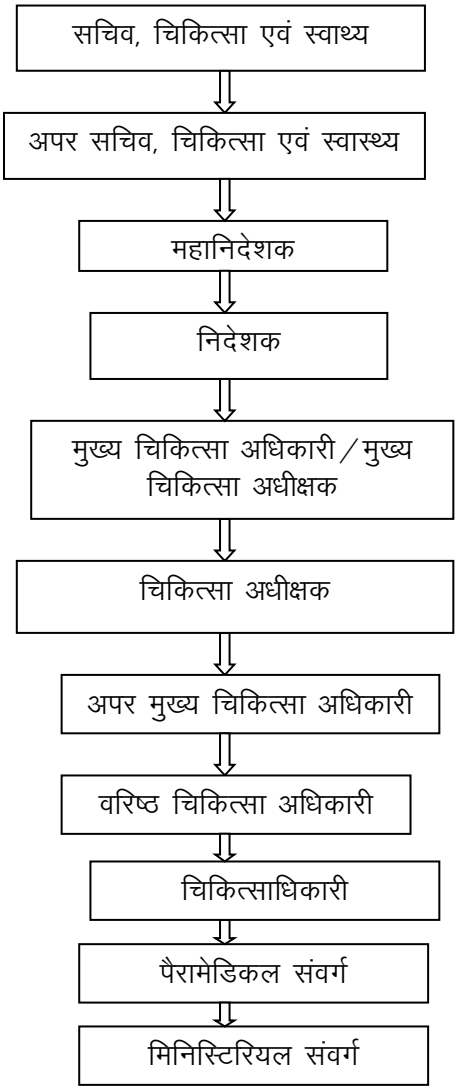

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुगड्डा, पौडी** को आच्छादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक–पृथक जारी किए जा रहे हैं। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुगड्डा, पौडी** की लेखापरीक्षा में पाए गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह मार्च 2015, अक्टूबर 2016 एवं अक्टूबर 2017 को अधिकतम व्यय के आधार पर विस्तृत जॉच हेतु चयनित किया गया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाए गये नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी0पी0सी0 एक्ट 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गई।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर–1 अनटाईड निधि में रु0 1.22 लाख का अनियमित व्यय ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत स्वास्थ्य उप–केन्द्रों को वार्षिक अनटाईट निधि के उपयोग हेतु निर्गत दिशा–निर्देशों के अनुसार अनटाईड निधि के रुप में प्राप्त धनराशि का उपयोग उप–केन्द्र के लघु सुधार, गोपनीयता हेतु पर्दे, टैप मरम्मत, विद्युत वल्ब प्रसव के उपरान्त सफाई हेतु तदर्थ भुगतान, बैडेज एवं ब्लीचिंग पाउडर की अधिप्राप्ति में व्यय किया जाएगा। अनटाईड निधि के रुप में प्राप्त धनराशि का उपयोग किसी प्रकार के वेतन, वाहन अधिप्राप्ति एवं आवर्ती व्यय में नहीं किया जाएगा।

कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुगड्डा, पौडी के स्वास्थ्य उप–केन्द्रों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों (मातृ शिशु टीकारण पंजिका, रोकड बही, स्टॉक पंजिका एवं व्यय वाउचर) की नमूना जॉच में पाया गया कि चिकित्सालय के अधीन 17 स्वास्थ्य उप–केन्द्रों द्वारा वर्ष 2012–13 से 2015–16 तक रु0 2400 प्रतिवर्ष की दर से अर्थात रु0 7200 प्रति स्वास्थ्य उपकेन्द्र द्वारा अनटाईड हेतु अवमुक्त धनराशि में से मोबाईल रिचार्ज पर व्यय किया गया, जो कि दिशा–निर्देशों के विपरीत था। इसप्रकार, तीन वर्षो में 17 स्वास्थ्य उप–केन्द्रों द्वारा रु0 1,22,400 का अनियमित व्यय किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि धनराशि उपलब्ध न होने के कारण उच्चाधिकारियों के निर्देश पर व्यय किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि यदि धनराशि की नियमित आवश्यकता होती है तो उस हेतु अन्य मद में धनराशि की मॉग एवं पूर्ति की जानी चाहिए थी।

अतः अनटाईड निधि में रु0 1.22 लाख के अनियमित व्यय का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–II 'ब'

प्रस्तर 2 संविदा कार्मिकों को शासकीय आवास आबंटन के बावजूद भी मकान किराया भत्ते की कटौती न कर रु0 55,200 की शासकीय हानि।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुगड्डा के अधीन कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को आबंटित शासकीय आवासों से सम्बन्धित लेखा–अभिलेखों की नमूना जॉच में पाया गया कि स्वास्थ्य केन्द्र द्वारा आबंटित शासकीय आवासों में निवास कर रहे संविदा कर्मियों से कोई भी मकान किराया भत्ता वसूल नहीं किया जा रहा था। शासकीय नियमों के अनुसार ग्रेड वेतन का न्यूनतम 50 प्रतिशत किराया वसूल किया जाना था। स्वास्थ्य केन्द्र में शासकीय कार्मिकों को आबंटित आवासों के प्रकार अर्थात टाईप–2 हेतु न्यूनतम ग्रेड वेतन रु0 2800 का आधा अर्थात रु0 1400 एवं टाईप–4 हेतु न्यूनतम रु0 2700 मकान किराया भत्ते के रुप में प्रतिमाह वसूला जा रहा है। यदि यही आवास शासकीय कर्मचारियों को आबंटित किए गये होते तो निम्न 04 आवासों से रु0 55,200 का शासकीय राजस्व प्राप्त होता। स्वास्थ्य केन्द्र में संविदा कार्मिकों को शासकीय आवास आबंटन हेतु कोई आदेश उपलबध नहीं थे। संविदाकर्मियों हेतु मकान किराए भत्ते का निर्धारण न होने के कारण लेखापरीक्षा में शासकीय कार्मिकों हेतु न्यूनतम दर पर वसूल की जा रही मकान किराया भत्ते की गणना की गयी। वर्तमान में निवास कर रहे शासकीय/संविदा कार्मिकों का विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0	कार्मिक का नाम	पदनाम	आवास का प्रकार	निवास की तिथि	कुल माह	शासकीय कार्मिक की प्रतिमाह न्यूनतम कटौती	वसूल की जाने वाली राशि
1.	श्रीमती कंचन लता नेगी	ए0एन0एम0	टाईप–2	जून 2017	08	1400	11200
2.	डा0 चिरुथा चौहान	चिकित्सा अधिकारी	टाईप–4	21.12.2016	13	2700	35100
3.	डा0 नाजिम	चिकित्सा अधिकारी	टाईप–4	08.08.2017	06	2700	16200
4.	डा0 निर्देश कुमार	चिकित्सा अधिकारी	टाईप–4	10.01.2018	01	2700	2700
योगः–							**55200**

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि आवास रिक्त होने के कारण एवं आवश्यकता को देखते हुए आवास आबंटन किए गये। प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाएगा तथा निर्देशानुसार मकान किराया भत्ता वसूला जाएगा। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासकीय आवासों में निवास करने वाले प्रत्येक कार्मिकों से मकान किराया भत्ते की वसूली की जानी चाहिए थी।

अतः अस्थायी कार्मिकों को शासकीय आवास आबंटन के बावजूद भी मकान किराया भत्ते की कटौती न कर रु0 55,200 की शासकीय हानि का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर–1 त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 2.97 लाख का अधिक भुगतान।

शासनादेश संख्या 41/xxvii/7 सी भर्ती/2009 दिनॉक 13.02.2009 के अनुसार यदि किसी कार्मिक की भर्ती दिनॉक 01.01.2006 अथवा इसके पश्चात् सीधी भर्ती से हुयी हो तो उनके वेतन बैण्डों एवं ग्रेड वेतन पर न्यूनतम प्रविष्टि वेतन पर वेतन निर्धारित किया जाएगा तथा शासनादेश संख्या 2084/XXVIII-3-2013-142/2008 दिनॉक 31.12.2013 के अनुसार चीफ फार्माशिष्टों/ फार्माशिष्टों उच्चीकृत किया गया था। इसके अतिरिक्त सातवें वेतन आयोग के दिशा–निर्देश के अनुसार कार्मिकों का वेतन निर्धारण दिनॉक 31.12.2015 की स्थिति को लेते हुए वेतन + ग्रेड वेतन को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्ति राशि, नये वेतन मैट्रिक्स में कर्मचारी के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के अनुरुपी लेवल में तलाशी जानी है। यदि इस प्रकार प्राप्त राशि के समरुप कोई कोष्ठिका समुचित लेवल में उपलब्ध है तो उसी कोष्ठिका को संशोधित वेतन माना जाएगा अन्यथा उस लेवल में अगली उच्चतर कोष्ठिका को कर्मचारी का संशोधित वेतन माना जाएगा। कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुगड्डा, पौडी के सेवा पुस्तिकाओं की नमूना जॉच में पाया गया कि

छ' महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री (श्रीमती कमला नेगी, श्रीमती सावित्री रावत, श्रीमती कीर्ति कुकरेती, श्रीमती शान्ता गौड, श्रीमती आशा भटनागर एवं श्रीमती माया देवी) का 7वें वेतन आयोग में वेतन निर्धारण माह जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार किया गया जबकि नियमानुसार वेतन निर्धारण 31 दिसम्बर 2015 की स्थिति के अनुसार होना चाहिए था। परिणामतः उक्त छः महिला स्वास्थ्य कार्यकत्रियों को माह जनवरी 2016 से जनवरी 2018 तक त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण वेतन के रुप में रु0 2,97,500 का वेतन अधिक दिया गया **(संलग्नक–3)**।

इस प्रकार, त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रु0 16.38 लाख का अधिक भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी ने अपने उत्तर में बताया कि शासनादेशों के अनुरुप ही वेतन निर्धारण किया गया फिर भी प्रकरण संज्ञान में आने पर पुनः समीक्षा कर वस्तुस्थिति से अवगत कराया जायेगा तथा जॉच के पश्चात् यदि अधिक भुगतान की पुष्टि हुई तो सम्बन्धित कर्मचारियों के वेतन से वसूली की जायेगी। महिला स्वास्थ्य कार्यकत्रियों को किए गये अधिक वेतन भुगतान के सम्बन्ध में बताया कि प्रकरण में वेतन निर्धारण की पुनः समीक्षा की जाएगी तथा यदि उपयुक्त हुआ तो तद्नुसार वसूली की कार्रवाई की जाएगी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि शासनादेशों एवं वेतन आयोग के निर्देशों में स्पष्ट प्रावधान किए गये थे एवं उसके अनुसार ही वेतन निर्धारण किया जाना चाहिए था।

अतः त्रुटिपूर्ण वेतन निर्धारण के परिणास्वरुप रु0 2.97 लाख के अधिक भुगतान का प्रकरण संज्ञान में लाया जाता है।

भाग–III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरणः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग–।। 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग–।। 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः शून्य

भाग–IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

— शून्य —

भाग–V

1. कार्यालय महालेखाकार लेखापरीक्षा उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना सम्बन्धी सहयोग सहित मांगे गए अभिलेख एवं सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुगड्डा, पौडी तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार ब्यक्त करता है। तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गयेः–

   (i) } –– शून्य ––
   (ii)

2. सतत् अनियमितताऐंः

   (i) } –– शून्य ––
   (ii)

3. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गयाः–

क्र0 सं0	नाम	पदनाम	अवधि
1.	डा0 प्रवीन कुमार	प्रभारी चिकित्सा अधिकारी	01.04.2012 से 05.08.2012
2.	डा0 मनीष कुमार अग्रवाल	–– तदैव ––	06.08.2012 से 28.01.2016
3.	डा0 शैलेन्द्र कुमार सिंह	–– तदैव ––	29.01.2016 से 22.06.2017
4.	डा0 शैलेन्द्र कुमार बडथ्वाल	–– तदैव ––	23.06.2017 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुगड्डा, पौडी को इस आशय से प्रेषित कर दी जाएगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप–महालेखाकार, सामाजिक क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाए।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सामाजिक क्षेत्र